भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 485
गुरुवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पायलट ड्यूटी के लिए मानदंड

485. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलट ड्यूटी के लिए मानदंड जारी किए हैं जिन्हें 1-6-2024 से लागू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में पायलटों की हुई मौतों के कारण उक्त नियमों के कार्यान्वयन की अत्यावश्यकता बढ़ गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पायलटों के लिए नए ड्यूटी मानदंडों में क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या अधिकांश विमानन कंपनियों ने सरकार से उक्त नियमों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में डीजीसीए का निर्णय क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ): नागर विमानन महानिदेशालय ने 26.03.2024 को नागर विमानन अपेक्षाएं, खंड-7, श्रंखला-जे, भाग-III, अंक-III में संशोधन-2 जारी किया है जिसमें पायलटों के ड्यूटी मानदंड शामिल हैं। नागर विमानन अपेक्षाओं के पैरा 2.2 के अनुसार अनुसूचित विमान परिवहन प्रचालन में लगे सभी प्रचालक, नागर विमानन अपेक्षाएं खंड 7, श्रृंखला-जे, भाग-III, अंक-III में संशोधन-I दिनांक 24 अप्रैल, 2019 के अनुपालन में तब तक परिचालन जारी रख सकते हैं जब तक कि उनकी संबंधित योजना को नागर विमानन अपेक्षाओं के उपर्युक्त संशोधन-2 के अनुपालन में स्वीकृति नहीं मिल जाती।
फ्लाइट क्रू के चिकित्सा मानकों के विषय में वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 39बी में यह प्रावधान है कि विमान के किसी भी कर्मी के लिए आवश्यक कोई लाइसेंस या रेटिंग तब तक जारी या नवीनीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक किसी अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी के साथ चिकित्सा परीक्षण नहीं कराता है और महानिदेशक द्वारा अधिसूचित चिकित्सा मानकों को

पूरा नहीं करता है। उसी के अनुपालन में, नागर विमानन महानिदेशालय ने विनियम जारी किए हैं जो फ्लाइट क्रू लाइसेंस और रेटिंग के लिए चिकित्सा अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करते हैं। ये विनियम इकाओ एनेक्स-1 और उसके संशोधनों के प्रावधानों पर आधारित हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए, प्रथम श्रेणी चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता होती है जो भारतीय वायु सेना चिकित्सा केंद्रों में मेडिकल बोर्डों द्वारा की जाती है। इस प्रकार, पायलटों की चिकित्सा जांच समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों के अनुरूप की जाती है।

******